न्यायालय,समाहर्त्ता,अररिया

अधिहरण वाद संख्या-43/2017-2018

अंदर धारा-58 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016

सरकार

बनाम

1. श्री संजीव कुमार साहा, पिता-कमलेश्वरी प्रसाद साहा,
सा0-फुलकाहा, वार्ड नं0-5, थाना-फुलकाहा,
जिला-अररिया..विपक्षी

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	इस वाद की कार्यवाही पुलिस अधीक्षक, अररिया के प्रस्ताव/प्रतिवेदन (पत्रांक 2054/हि0शा0, दिनांक 01.06.2017) के आलोक में नरपतगंज थाना कांड संख्या-34/16, दिनांक 23.05.2016 धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-PB-10A-6770, चेचिस नं0-289608, ईजन नं0-291815, को राजसात करने हेतु प्रारम्भ की गई। जोगबनी थाना कांड संख्या-187/17, दिनांक 12.11.2017 के प्राथमिकी नामजद अभियुक्त श्री संजीव कुमार साहा, पिता-कमलेश्वरी प्रसाद साहा, सा0-फुलकाहा, वार्ड नं0-5, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया के विरूद्ध कारण-पृच्छा जवाब दाखिल करने हेतु सूचना निर्गत किया गया। (2) दैनिक प्रभात खबर समाचार पत्र में दिनांक 24.02.2019 के माध्यम से सूचना प्रकाशन के बावजूद विपक्षी की ओर से आज तक कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया। विपक्षी लगातार सभी निर्धारित तिथियों में अनुपस्थित है। स्पष्ट है कि विपक्षी को इस वाद में कोई रूचि नहीं है। फलस्वरूप विपक्षी की अनुपस्थिति में सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम,अररिया श्री रामानंद मंडल को सुना। (3) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया का मुख्य कथन है कि थानाध्यक्ष, फुलकाहा थाना दिनांक 23.05.2016 को समय 10.30 बजे चौकीदार 2/4 योगेन्द्र पासवान, चौकीदार 2/5 डोमी पासवान एवं चालक गृह रक्षक सिपाही-401429 सत्य नारायण सिंह के साथ सरकारी गाड़ी से गश्ती एवं मद्य निषेध अभियान के तहत भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में वाहन चेकिंग हेतु थाना से प्रस्थान किया। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के मानिकपुर, वार्ड नं0-7 ढ़लाई सड़क जो नेपाल की तरफ जाती है, वहाँ पर वाहन चेकिंग कर रहा था करीब 13.30 बजे विपक्षी मोटर साईकिल पर सवार होकर नेपाल की ओर से आ रहा था। पुलिस बल को देखकर विपक्षी मोटर साईकिल छोड़कर भागने का प्रयास किया। विपक्षी को पुलिस बल के सहयोग से पकड़ लिया गया। नाम पता पूछने पर विपक्षी ने अपना नाम संजीव कुमार साहा, पे0-कमलेश्वरी प्रसाद साहा, सा0-फुलकाहा, वार्ड नं0-05, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया बताया। वहाँ उपस्थित दो स्वतंत्र साक्षी 1. दयानन्द मेहता, पे0-मोती लाला मेहता, सा0-मानिकपुर, वार्ड नं0-7, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया एवं 2. दयानन्द मेहता, पे0-मोहन मेहता, सा0-मानिकपुर, वार्ड नं0-07, थाना-फुलकाहा, जिला-अररिया के समक्ष विपक्षी की गाड़ी की तलाशी ली गई। तलाशी के कम में जब्त मोटर साईकिल Tvs Victor GL के सीट पर 20(बीस) बोतल वर्जिन कम्पनी का नेपाली शराब 70 पैक-180 एम0एल0 का बरामद हुआ। विपक्षी से मोटर साईकिल के कागजात की मांग की गई। विपक्षी	

अधिहरण वाद संख्या-43/2017-2018

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी (तारीख सहित)
25.05.2019	के द्वारा कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया। दो स्वतंत्र गवाहों के समक्ष बरामद शराब एवं मोटर साईकिल को जब्ती सूची बनाकर विधिवत् जब्त किया गया। बिना किसी अनुज्ञप्ति अथवा अनुज्ञा पत्र या पास के बिना किसी मादक द्रव्य का उत्पादन करना, स्वामित्व रखना, बिक्रय करना, वितरण करना, बोतल बंद करना, आयात करना, निर्यात करना, ढ़ोना आदि बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 के अंतर्गत एक संगीन अपराध है। फलस्वरूप विपक्षी के विरूद्ध नरपतगंज थाना कांड संख्या-34/2016, दिनांक 23.05.2016, धारा-272/273 भा0द0वि0 एवं 47 बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम,2016 दर्ज किया गया।	

विद्वान विशेष लोक अभियोजक का आगे कहना है कि विपक्षी द्वारा अवैध शराब का जब्त मोटर साईकिल से परिवहन कर बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 का उल्लंघन किया गया है। उनकी प्रार्थना है कि जब्त मोटर साईकिल राजसात होने योग्य है। जब्त मोटर साईकिल को राजसात किया जाय।

(4) सरकार की ओर से उपस्थित विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद अधिनियम, अररिया के कथनों एवं तर्कों तथा पुलिस अधीक्षक, अररिया से प्राप्त प्रस्ताव/प्रतिवेदन और संलग्न कागजातों के परिशीलन से अधोहस्ताक्षरी को यह समाधान हो गया है कि विपक्षी द्वारा जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-PB-10A-6770 का अवैध शराब को ढ़ोने में प्रयुक्त किया गया है। जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-PB-10A-6770 बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद (संशोधन)अधिनियम, 2018 की धारा-56(ख) के अंतर्गत राजसात होने योग्य है। तद्नुसार नरपतगंज थाना कांड संख्या-34/16, दिनांक 23.05.2016 में जब्त मोटर साईकिल निबंधन संख्या-PB-10A-6770, चेचिस नं0-289608, ईजन नं0-291815 को बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-58(2) के अंतर्गत राजसात किया जाता है।

उक्त आदेश के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

समाहर्त्ता, अररिया   समाहर्त्ता, अररिया

ज्ञापांक 1023 /विधि, अररिया, दिनांक 31 / 5 /2019

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, अररिया/अधीक्षक, उत्पाद, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, अररिया को जिला के बेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

समाहर्त्ता, अररिया

जिला वंडाधिकारी एवं समाहर्ता न्यायालय, अररिया (बिहार)

25.05.2019